27,649 कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून। 21

संख्याः /सात लाई०एस०–47/आबकारी नीति विषयक नियमावली/2024–25 देहरादूनः दिनांकः मार्च, . 2024

समस्त जिला आबकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषयः– **उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2024–25 के अन्तर्गत विदेशी मदिरा की एम०आर०पी० अनुमोदन के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आयुक्तालय के पत्र संख्याः 25232/सात लाई०एस०–47/आबकारी नीति विषयक नियमावली/2024–25 देहरादूनः दिनांकः मार्च, 04, 2024 के द्वारा आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2024–25 के अन्तर्गत विदेशी मदिरा, बीयर, वाईन व आर०टी०डी० के Cost Card हेतु दिनांक 20.03.2024 को कार्यालय आबकारी आयुक्त, मुख्यालय देहरादून में थोक एवं खुदरा अनुज्ञापनों, आसवनियों व बॉटलिंग इकाई के संचालन में व्यवहारिक कठिनाईयों के निवारण हेतु आबकारी नीति विषयक नियमावली–2024 के नियम–46 के तहत बैठक आहूत की गई। वर्ष 2024–25 में घोषित आबकारी नीति में दी गयी व्यवस्था के अनुसार व्यवस्थापन सम्बन्धी एवं ऐजेन्डानुसार विचार विमर्श किया गया।

राजस्व हित के दृष्टिगत एवं दिनांक 01, अप्रैल, 2024 से विदेशी मदिरा, बीयर, वाईन व आर०टी०डी० की सुचारू आपूर्ति किये जाने के दृष्टिगत राजस्व हित में निम्न सूत्र के अनुसार अस्थाई रूप से विदेशी मदिरा, बीयर, वाईन व आर०टी०डी० का Cost Card निर्धारित किया जायेगाः–

क्र०सं०	विवरण
1.	ई0डी0पी0 (नियम 12.5 के क्रम में आबकारी आयुक्त द्वारा स्वीकृत)
2.	निर्यात शुल्क (निर्यातक इकाई के राज्य में प्रभावी)
3.	आयात शुल्क (विदेशी मदिरा में रू0 10 प्रति 750 एम0एल0 (01 बोतल= 02 अद्धा = 04 पव्वा) तथा बीयर व वाईन/आर0टी0डी0 में रू0 05 प्रति 650 एम0एल0 की दर से) अन्य धारिता में समानुपातिक आधार पर लिया जायेगा।
4.	उत्पाद शुल्क (नियम 6.1 में ई0डी0पी0 वार)
	योग
5.	वाणिज्य कर (12%)
	योग
6.	सेस 2 प्रतिशत उपकर (उत्तराखण्ड उपकर अधिनियम– 2015 की धारा–03 की उपधारा 1,खण्ड 'ख' के क्रम में लागू)
7.	महिला सशक्तिकरण, खेलकूद को बढावा देने तथा गौ संरक्षण के लिये प्रत्येक विदेशी मदिरा /बीयर की प्रत्येक बोतल पर प्रति मद रू0 01, (अर्थात प्रत्येक बोतल पर रू0 03) का उपकर देय होगा।
8.	होलोग्राम/ट्रैस एण्ड ट्रैक शुल्क
9.	एफ0एल0–2 के लिए बिलिंग दर
10.	एफ०एल०–2 अनुज्ञापन धारक का लाभ 50/– रूपये प्रति पेटी
11.	फुटकर मदिरा दुकानों के लिए बिलिंग दर
12.	एम0जी0डी0/ऐसेस्मेन्ट फीस (एम0जी0डी0 नियम 6.3 में ई0डी0पी0 वार व तथा ऐसेस्मेन्ट फीस नियम 8.3 के अनुसार)
13.	प्रतिफल
14.	फुटकर मदिरा दुकानों का लागत मूल्य (11+12)
15.	खुदरा विक्रेता का लाभांश (विदेशी मदिरा पर 20 प्रतिशत एवं बीयॅर/वाईन/आर0टी0डी0 पर लागत मूल्य का 15 प्रतिशत) of 14th point
	योग

16.	प्रति बोतल अधिकतम बिक्री मूल्य – विदेषी मदिरा के मामले में बोतल मेंरू० 10 के गुणांक में,अद्धा व पव्वा में 5 रुपये गुणांक में तथा बीयॅर / वाईन / आर0टी0डी0 के मामले में रू० 5 के गुणांक में निर्धारित किया जायेगा तथा अन्तर की धनराशि प्रतिफल (अतिरिक्त राजस्व) के रूप में राजकोष में जमा करायी जायेगी। उक्त अतिरिक्त प्राप्त राजस्व जनपद के राजस्वलक्ष्य का भाग माना जाएगा।

टी०सी०एस० आयकर नियमों के अनुरूप देय होगा।

विदेशी मदिरा, बीयर, वाईन व आर०टी०डी० एवं ओवरजीस मदिरा का अस्थाई रूप से अधिकतम विक्रय मूल्य निर्धारित किये जाने हेतु cost card संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त cost card के अनुसार आपके जनपद में स्थित समस्त सम्बन्धित विदेशी मदिरा, बीयर, वाईन व आर०टी०डी० की आपूर्तक इकाईयो को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

<u>संलग्नक उपरोक्तानुसार</u>

(प्रशान्त आर्य)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

27650-56

संख्याः /सात लाई०एस०–47/आबकारी नीति विषयक नियमावली/2024–25 देहरादूनः तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, आबकारी महोदय उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त अपर/संयुक्त/उप आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड।
4. उप आबकारी आयुक्त, आई०टी० अनुभाग मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त सूत्र के अनुसार अस्थाई रूप से विदेशी मदिरा, बीयर, वाईन व आर०टी०डी० का अधिकतम विक्रय मूल्य ऑन लाईन के माध्यम से आयुक्तालय के पत्र संख्याः 26567/सात लाई०एस०–47/ आबकारी नीति विषयक नियमावली/2024–25 देहरादूनः दिनांकः मार्च, 14, 2024 के क्रम कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
5. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ कि अपने स्तर से आपके जनपद में स्थित समस्त सम्बन्धित विदेशी मदिरा, बीयर, वाईन व आर०टी०डी० की आपूर्तक इकाईयो को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
6. आई०टी० अनुभाग मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि आयुक्तालय के पत्र संख्याः 26567/सात लाई०एस०–47/आबकारी नीति विषयक नियमावली/2024–25 देहरादूनः दिनांकः मार्च, 14, 2024 के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
7. समस्त विदेशी मदिरा, बीयर, वाईन व आर०टी०डी० आपूर्तक इकाई को उपरोक्त के अनुपालनार्थ।

(प्रशान्त आर्य)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

CamScanner

FORMULA FOR APPLYING OF EDP/MRP OF OVERSEAS BRANDS 2024-2025

S. No.	Manufacturer	Item Name	Brand Name	Filling	Ex-Custom Bonded Warehouse Price	IMPORT FEE	TOTAL	COMMERCIAL TAX 12% (As per Rule of Commercial Tax Deptt.)	TOTAL	Cess @ 2%	Women Emp./Sports/Com welfare	Hologram Fees per Case	Permit Fees	FL-2 (O) License Margin @ 50 per Btl	Billing Rate to FL-5D	M.G.D./ Assesment Fee	LANDED COST AT FL.-5D (Total)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

आबकारी आयुक्त
उत्तराखण्ड, देहरादून

FORMULA FOR APPLYING OF EDP/MRP OF FL/BEER/WINE/RTD BRANDS ETC. 2024-2025

S. No.	Manufacturer	Item Name	Brand Name	Filling	BASIC PRICE (E.D.P.) 2024-25	EXPORT FEE	IMPORT FEE	EXCISE DUTY As per E.D.P Slab PER A.L.	TOTAL	COMMERCIAL TAX 12% (As per Rule of Commercial Tax Deptt.)	TOTAL	Cess @ 2%	Women Emp./Sports/Com welfare	Hologram Fees per Case	Billing Rate to FL-2	FL-2 Licence Margin (@ 50 per case	Billing Rate to FL-5D	M.G.D./ Assesment Fee	Pratifal Fees	Total (Including Pratifal)	TOTAL	MARGIN OF FL-5D 20% of Landed Cost	LANDED COST AT FL.-5 (Total)	PER BOTTLE MRP	PER BOTTLE PRICE (MAXIMUM RETAIL PRICE ROUNDO up of Rs 10/-) 2024-25	MSP (Minimum Sale Price)
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00

आबकारी आयुक्त
.उत्तराखण्ड, देहरादून